रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2010/पौष 22, 1931
No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2010/PAUSA 22, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2010

सं. एल-7/25(5)/2003.-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की यह राय होने पर कि विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन नियत करना आवश्यक है, और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान पर लागू होंगे ।

2. लागू होना.—ये विनियम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरंभ किए गए विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अल्प-कालिक क्रय-अल्प-कालिक विक्रय संविदाओं को लागू होंगे :

परंतु यह कि ये विनियम आयोग द्वारा प्रदत्त अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर विद्युत अधिनियम, 2005 के नियम 9 के उपबंधों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरंभ किए गए विद्युत में अंतरा-राज्यिक व्यापार को लागू नहीं होंगे ।

3. परिभाषाएं तथा निर्वचन : (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

(घ) "अल्प-कालिक क्रय-अल्प-कालिक विक्रय संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जहां ऊर्जा क्रय करार और ऊर्जा विक्रय करार एक वर्ष से कम की अवधि के लिए किया जाता है;

(ड.) "अंतिम क्रेता" में वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता सम्मिलित हैं ।

(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय तथा जब तक संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों का, जो परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम, नियम या आयोग द्वारा इसके अधीन बनाए गए किन्हीं अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो क्रमश: अधिनियम या नियमों या विनियमों में है ।

(3) समय-समय पर यथासंशोधित साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) के उपबंध इन विनियमों के निर्वचन के लिए ऐसे लागू होंगे जैसे कि वे संसद के अधिनियम के निर्वचन को लागू होते हैं ।

4. व्यापार मार्जिन.—अनुज्ञप्तिधारी, यदि विक्रय कीमत तीन (3.0) रुपए/केडब्ल्यूएच से अधिक है तो सात (7.0) पैसे/केडब्ल्यूएच तथा जहां तीन रुपए (3.0)/केडब्ल्यूएच से कम है या उसके बराबर है, चार (4.0) पैसे/केडब्ल्यूएच से अधिक का व्यापार मार्जिन प्रभारित नहीं करेगा । इस मार्जिन में अनुसूचित ऊर्जा, निर्बाध पहुंच तथा पारेषण हानियों के सिवाय सभी प्रभार सम्मिलित हैं । व्यापार मार्जिन विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित होगा :

परंतु यह है कि इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट व्यापार मार्जिन उत्पादकों तथा अंतिम क्रेता के बीच संव्यवहारों की श्रृंखला में अंतर्वलित सभी व्यापारियों द्वारा प्रभारित व्यापार मार्जिन का संचयी मूल्य होगा, अर्थात् अनेक व्यापारियों के बीच किए गए संव्यवहार की दशा में व्यापार मार्जिन इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट व्यापार मार्जिन की उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण : निर्बाध पहुंच के लिए प्रभारों में पारेषण प्रभार, प्रचालन प्रभार तथा आवेदन फीस सम्मिलित है ।

5. निरसन तथा व्यावृत्ति.—(1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से निरसित समझे जाएंगे ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अधीन की गई कोई बात या किए जाने के लिए आशयित कोई बात इन विनियमों के अधीन की गई कोई बात या किए जाने के लिए आशयित समझी जाएगी ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2010

No. L-7/25(5)/2003-CERC.—The Central Electricity Regulatory Commission on being of the opinion that it is necessary to fix trading margin for inter-State trading in electricity, and in exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after pervious publication, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force on expiry of thirty days from the date of publication in the Official Gazette.

2. Applicability : These regulations shall apply to the short-term buy-short-term sell contracts for the inter-State trading in electricity undertaken by a licensee :

Provided that these regulations shall not apply to the intra-State trading in electricity undertaken by the licensee by virtue of the provisions of Rule 9 of the Electricity Rules, 2005, on the basis of the inter-State trading licence granted by the Commission.

3. Definitions and Interpretation: (1) In these regulations, unless the context or subject-matter, otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;

(c) "licensee" means the person who has been granted licence by the Commission to undertake inter-State trading in electricity;

(d) "Short Term Buy-Short Term Sell contract" means a contract where the duration of the power purchase agreement and power sale agreement is less than one year;

(e) "Ultimate buyer" includes a distribution licensee or a consumer.

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the rules or any other regulations made thereunder by the Commission shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the rules or the regulations.

(3) The provisions of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as amended from time to time shall apply for the interpretation of these regulations as they apply for the interpretation of an Act of Parliament.

4. Trading Margin : The licensee shall not charge trading margin exceeding seven (7.0) paise/kWh in case the sale price is exceeding Rupees three (3.0)/kWh and four (4.0) paise/kWh where the sale price is less than or equal to Rupees three (3.0)/kWh. This margin shall include all charges, except the charges for scheduled energy, open access and transmission losses. The trading margin shall be charged on the scheduled quantity of electricity :

Provided that trading margin specified under these regulations shall be the cumulative value of the trading margin charged by all the traders involved in the chain of transactions between the generator and the ultimate buyer, that is to say, trading margin in case of multiple trader-to-trader transactions shall not exceed the ceiling trading margin specified under these regulations.

Explanation : The charges for the open access include the transmission charge, operating charge and the application fee.

5. Repeal and Savings : (1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2006 shall stand repealed from the date of commencement of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/09-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.